



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नगीना देहात

दिनांक 13.05.2025

थाना नगीना देहात पुलिस ने 04 वारन्टी अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही विवरण-

जनपद में वांछित/वारन्टी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा 04 वारन्टी अभियुक्तगण 1.रोहताश व 2.मलखान पुत्रगण टीकम सिंह निवासी नेकपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर व 3.विजय सिंह व 4.राजेश पुत्रगण गोकल सिंह निवासी रानीकोटा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

- 1.रोहताश पुत्र टीकम सिंह निवासी नेकपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 2.मलखान पुत्र टीकम सिंह निवासी नेकपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 3.विजय सिंह पुत्र गोकल सिंह निवासी रानीकोटा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 4.राजेश पुत्र गोकल सिंह निवासी रानीकोटा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 दीपक कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 2.आरक्षी निखिल कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 3.महिला आरक्षी दीक्षा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नगीना देहात

दिनांक 13.05.2025

**थाना नगीना देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 109/25 धारा 333/74/351(2) बीएनएस व धारा 7/8
पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.05.2025 को वादी ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र स्व0 झबरे सिंह उर्फ बुल्लू सिंह निवासी ग्राम रायपुर चुण्डैली थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री के साथ छेड़छाड़ की गई तथा वादी की पुत्री द्वारा विरोध करने पर धमकी देते हुए भाग गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 109/25 धारा 333/74/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।



कार्यवाही :-

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 109/25 धारा 333/74/351(2) बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र स्व0 झबरे सिंह उर्फ बुल्लू सिंह निवासी ग्राम रायपुर चुण्डैली थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

राजेन्द्र पुत्र स्व0 झबरे सिंह उर्फ बुल्लू सिंह निवासी ग्राम रायपुर चुण्डैली थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 दीपक कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
- 2.मुख्य आरक्षी रविन्द्र कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 13.05.2025

थाना चांदपुर पुलिस ने 03 अभियुक्तगण को चोरी किये गए बिजली के तार, कटर, लोहे के एंगल व एक मो0सा0 सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही विवरण –

थाना चांदपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1.सुरेन्द्र पुत्र तेजपाल ग्राम जसवंतपुर उर्फ लुकादडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर, 2.अनीस पुत्र मौ0 युनुस नि0 ग्राम शाहपुर उर्फ हिन्दुपुरा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर व 3.शाहरुख पुत्र सलीम नि0 ग्राम हीमपुर बुजुर्ग थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को चोरी किया गया 03 कुन्तल तार (एल्युमीनियम), 01 तार कटर, 02 लोहे के एंगल व एक मो0सा0 होन्डा साइन नं0 यूपी20सीक्यू-9838 सहित गिरफ्तार किया गया ।



पूछताछ विवरण-

अभियुक्तगण से की गई पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त सुरेन्द्र, जो बिजली का काम जानता है, ने लगभग 04-05 माह पूर्व सदनपुर से महदूदनशो के बीच पोल के तार कटर से काटे थे (इस संबंध में थाना चांदपुर मु0अ0सं0 164/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है ।), उक्त तार को उसने कबाडी का कार्य करने वाले अनीस पुत्र मौ. युनुस निवासी ग्राम शाहपुर उर्फ हिन्दुपुरा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर तथा शाहरुख पुत्र सलीम निवासी ग्राम हीमपुर बुजुर्ग थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को दे दिया था । आज वे तीनों उक्त चोरी के तार को शाहरुख के गोदाम से निकालकर बेचने की फिराक में थे ।

नोट- बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.सुरेन्द्र पुत्र तेजपाल ग्राम जसवंतपुर उर्फ लुकादडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
- 2.अनीस पुत्र मौ0 युनुस नि0 ग्राम शाहपुर उर्फ हिन्दुपुरा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।
- 3.शाहरुख पुत्र सलीम नि0 ग्राम हीमपुर बुजुर्ग थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण –

03 कुन्तल तार (एल्युमीनियम), 01 तार कटर, 02 लोहे के एंगल व एक मो0सा0 होन्डा साइन नं0 यूपी20सीक्यू-9838

अभियुक्त सुरेन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0स0 392/24 धारा 115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
- 2.मु0अ0सं0 55/25 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।
- 3.मु0अ0स0 164/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना चादपुर जनपद बिजनौर ।

अभियुक्त अनीस उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0स0 36/23 धारा 13 जी एक्ट थाना को0 देहात जनपद बिजनौर ।
- 2.मु0अ0स0 201/19 धारा 379/411 भादवि0 थाना को0 देहात जनपद बिजनौर ।
- 3.मु0अ0स0 164/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना चादपुर जनपद बिजनौर ।

अभियुक्त शाहरुख उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0स0 164/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना चादपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.उ0नि0 श्री रोबिन कौशिक थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ।
- 3.हे0का0 विपिन कुमार थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ।
- 4.का0 865 धन सिंह थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ।
- 5.का0 2341 मौ0 सिराज थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ।
- 6.का0 688 राजकुमार थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नूरपुर

दिनांक 13.05.2025

थाना नूरपुर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नूरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त दैवेश उर्फ दीप राठी पुत्र स्व० मोहित राठी निवासी ग्राम मौहम्मदनगर देवमल थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर थाना नूरपुर पर मु०अ०सं० 164/2025 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

दैवेश उर्फ दीप राठी पुत्र स्व० मोहित राठी निवासी ग्राम मौहम्मदनगर देवमल थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण:-

एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ०नि० प्रवेज कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.मुख्य आरक्षी अंकुर पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 3.आरक्षी अंकित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ

दिनांक – 13.05.2025

थाना अफजलगढ पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही विवरण –

थाना अफजलगढ पुलिस ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त विशाल गिल पुत्र गुरुमुख सिंह निवासी गुरुद्वारे के पास डेरा ग्राम महसनपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को चोरी की बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल हीरो स्पेलन्डर प्लस सहित गिरफ्तार किया गया । जांच के दौरान उक्त मो0सा0 की चोरी होने के सम्बन्ध मे थाना आईटीआई जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड पर मु0अ0सं0 134/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत होना पाया गया । बरामदगी के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 147/25 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विशाल गिल पुत्र गुरुमुख सिंह निवासी गुरुद्वारे के पास डेरा ग्राम महसनपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण –

बिना नम्बर प्लेट की एक हीरो स्पेलन्डर मोटरसाइकिल चैसिस नम्बर MBLHAW22XRHA63660

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 147/2025 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 134/2024 धारा 379 भादवि थाना आईटीआई जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. थानाध्यक्ष श्री सुमित राठी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
2. उ0नि0 श्री हरवीर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
3. हे0का0 60 राकेश कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
4. का0 2118 अभिषेक ढाका थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
5. का0 2544 मनीष कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट – थाना हल्दौर

दिनांक – 13.05.2025

थाना हल्दौर क्षेत्रान्तर्गत कंटेनर चालक से लूट की घटना का खंडन करने के संबंध में।

अवगत कराना है कि कतिपय सोशल मीडिया पर प्रसारित खबर **"कंटेनर चालक से लूट और पुलिस पर गंभीर आरोप"** के संबंध में जांच करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि उपरोक्त कंटेनर संजय नामक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत है। संजय ने उक्त कंटेनर अतुल नामक व्यक्ति के माध्यम से संदीप कुमार को ठेके पर चलाने के लिये दी थी और संदीप ने आगे उसे सतवेन्द्र को चलाने के लिए दे दिया था। कंटेनर के मालिक संजय उपरोक्त ने बताया कि वह अपनी गाड़ी की निगरानी जीपीएस के माध्यम से कर रहा था, लेकिन दिनांक 03.05.2025 को दोपहर करीब 14:00 बजे बिजनौर नूरपुर रोड स्थित डेरावसी ढाबे के पास कंटेनर गाड़ी का जीपीएस सिग्नल अचानक बंद हो गया, इससे उसे शक हुआ कि गाड़ी किसी गलत व्यक्ति के कब्जे में चली गई है और उससे कोई अवैध गतिविधि की जा सकती है। इस पर उसने अतुल से संपर्क कर कंटेनर गाड़ी को वापस लाने को कहा।

दिनांक 08.05.2025 को अतुल ने वीडियो कॉल के माध्यम से कंटेनर गाड़ी दिखाई और बताया कि कंटेनर गाड़ी इस समय राजस्थान के चूरु जिले के राजगढ़ में खड़ी है तथा किसी प्रकार की लूट की घटना नहीं हुई है। जांच में स्पष्ट हुआ कि लूट की घटना असत्य है बल्कि यह मामला वाहन मालिक, चालक व ठेकेदार के आपसी विवाद का है। प्रकरण की गहन जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।